

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II – धारा 1
प्राधिकार से प्रकाशित

संख्या 36

नई दिल्ली, गुरुवार, 19 सितम्बर, 2013 / भाद्र 28, 1935 (शक)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2013 / भाद्र 28, 1935 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 18 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसे सामान्य जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013

संख्या 26, 2013

[18 सितम्बर, 2013]

राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमित करने के लिए एक अधिनियम, जिससे विमानन अध्ययन और अनुसंधान को सुगम और प्रोत्साहित किया जा सके, विमानन प्रबंधन, नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण और अभियांत्रिकी, सुरक्षा एवं संरक्षा के संचालन क्षेत्रों, विमानन और संबद्ध क्षेत्रों के विनियमों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके, विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तैयार किए जा सकें तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए प्रावधान किया जा सके।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. (1) इस अधिनियम का नाम **राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013** होगा।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे; और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ निर्धारित की जा सकेंगी।

2. इस अधिनियम में, तथा इसके अधीन बनाए गए सभी अधिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "शैक्षणिक परिषद" से अभिप्राय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद से है;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारी" से अभिप्राय कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियों से है जिन्हें अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी के रूप में नामित किया गया हो।

(ग) "विद्यालय बोर्ड" से अभिप्राय विश्वविद्यालय के विद्यालय बोर्ड से है;

(घ) "परिसर" से अभिप्राय उस इकाई से है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा, अनुसंधान, अध्ययन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए स्थापित या निर्मित किया गया हो;

(ङ) "कुलाधिपति" और "कुलपति" से अभिप्राय क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति से है;

(च) "महाविद्यालय" से अभिप्राय ऐसे किसी महाविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या उससे संबद्ध हो तथा विमानन अध्ययन और संबंधित विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता हो;

(छ) "न्यायालय" से अभिप्राय विश्वविद्यालय के न्यायालय से है;

(ज) "विद्यालय अधिष्ठाता" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में किसी महाविद्यालय, संकाय या विभाग का प्रशासनिक अधिकारी हो;

(झ) "विभाग" से अभिप्राय अध्ययन विभाग से है और इसमें अध्ययन केंद्र भी सम्मिलित है;

(ञ) "महानिदेशक" से अभिप्राय नागर विमानन महानिदेशक से है;

(ट) "दूरस्थ शिक्षा प्रणाली" से अभिप्राय प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाठ्यक्रम, संगोष्ठियाँ, संपर्क कार्यक्रम, ई-लर्निंग अथवा ऐसे दो या अधिक साधनों के संयोजन जैसे किसी भी संचार माध्यम के द्वारा शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली से है;

(ठ) "कर्मचारी" से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं;

(ड) "कार्यकारी परिषद" से अभिप्राय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से है;

(ढ) "वित्त समिति" से अभिप्राय विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(ण) "हॉल" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्थान के विद्यार्थियों के निवास की इकाई से है;

(त) "संस्थान" से अभिप्राय ऐसे संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय या अध्ययन केंद्र से है जिसे विमानन अध्ययन या संबंधित विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हों;

(थ) "अधिसूचना" से अभिप्राय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(द) **“विदेश स्थित परिसर”** से अभिप्राय विश्वविद्यालय के ऐसे संस्थान, महाविद्यालय, केंद्र, विद्यालय या परिसर से है जो भारत के बाहर स्थापित हो;

(ध) **“प्रधानाचार्य”** से अभिप्राय किसी महाविद्यालय या संस्थान के प्रमुख से है;

(न) **“मान्यता प्राप्त संस्थान”** से अभिप्राय ऐसे संस्थान से है जिसे शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान या विस्तार गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हों;

(प) **“मान्यता प्राप्त शिक्षक”** से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा किसी महाविद्यालय या संस्थान में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मान्यता दी गई हो, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हों;

(फ) **“विद्यालय”** से अभिप्राय विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यालय से है;

(ब) **“अधिनियम”, “अध्यादेश” और “विनियम”** से अभिप्राय क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के अधिनियम, अध्यादेश और विनियम से है;

(भ) **“विश्वविद्यालय के शिक्षक”** से अभिप्राय प्रोफेसर, एसोसिएट-प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, वरिष्ठ व्याख्याता, व्याख्याता तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्थान में किसी अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने या निर्देश देने या अनुसंधान संचालित करने के लिए नियुक्ति या मान्यता दी गई हो;

(म) **“विश्वविद्यालय”** से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन स्थापित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय से है;

(य) **“विश्वविद्यालय अनुदान आयोग”** से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन मान्यता प्राप्त आयोग है।

3. (1) “राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय” नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले के फुरसतगंज में होगा।

(3) विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों पर परिसर और केंद्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(4) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, न्यायालय, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद के प्रथम सदस्य तथा वे सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात अधिकारी या सदस्य बनेंगे, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता पर बने रहेंगे, विश्वविद्यालय का गठन करेंगे।

(5) विश्वविद्यालय को शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर प्राप्त होगी, तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका

निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह अपने नाम से वाद कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद किया जा सकेगा।

(6) विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक, अनुसंधान और संबद्ध विमानन विश्वविद्यालय होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगे -

(क) विमानन अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुगम और प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से प्रबंधन, विमानन विनियमन और नीति, विमानन इतिहास, विमानन विज्ञान और अभियांत्रिकी, विमानन विधि, विमानन संरक्षा और सुरक्षा, विमानन चिकित्सा, वायु परिवहन प्रबंधन, हवाईअड्डा संचालन, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना;

(ख) विमानन और संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान कर तथा अनुसंधान संचालित कर उत्कृष्टता प्राप्त करना, ऐसे क्षेत्रों में जो भविष्य में उभर सकते हैं;

(ग) ऐसे अध्ययन क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान कर उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे तथा प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य अध्ययन क्षेत्रों में एकीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करना;

(घ) उन्नत प्रौद्योगिकी में अध्ययन और विद्वत्ता के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना;

(ङ) भारत में विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित विमानन शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसमें सुधार के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करना;

(च) अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक विकसित और बनाए रखना तथा कुशल विमानन मानव संसाधन के विकास को सुगम बनाने हेतु अन्य उपाय करना, जिसमें लाइसेंस प्राप्त विमानन कर्मियों की श्रेणी भी सम्मिलित है;

(छ) विमानन अनुप्रयोगों, विमानन प्रबंधन तथा संबद्ध और सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम विकसित करना;

(ज) विमानन विधि, विमानन सुरक्षा और नीति तथा वायु परिवहन और संबंधित क्षेत्रों में अन्य कार्यक्रम संचालित करना;

(झ) विमानन शिक्षण, प्रशिक्षण प्रक्रियाओं, विमानन अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करना।

5. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात:-

(i) विश्वविद्यालय में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा की विमानन-संबंधित शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना तथा अनुसंधान और ज्ञान के विकास एवं प्रसार के लिए प्रावधान करना;

(ii) विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालयों और संस्थानों को मान्यता देना तथा ऐसी मान्यता के लिए प्रावधान करना;

(iii) विशेष अध्ययन करना, परिसर, विभाग, पुस्तकालय, हॉल, संग्रहालय, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विशिष्ट अध्ययन केंद्र स्थापित करना;

(iv) स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य सुविधाओं जैसे स्टेडियम, खेल मैदान, व्यायामशाला, तैराकी ताल और छात्रावास स्थापित और अनुरक्षित करना;

(v) भारत और विदेश में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, उद्योग संघ, व्यावसायिक निकाय या संगठनों के साथ संपर्क और सहयोग स्थापित करना ताकि विमानन और संबंधित शिक्षा तथा अनुसंधान के विशेष कार्यक्रमों की कल्पना, अभिकल्पना और विकास किया जा सके;

(vi) मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के समूह की सेवा हेतु परिसरों, महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना के लिए प्रावधान करना तथा ऐसे परिसरों में पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर केंद्र और छात्रावास जैसे सामान्य संसाधन केंद्र उपलब्ध कराना;

(vii) डिग्री कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या प्रारंभ करना;

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन डिग्रियाँ, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्रियाँ और प्रमाणपत्र प्रदान करना, किन्तु लाइसेंस प्राप्त विमानन कर्मियों की दक्षताओं के संबंध में नहीं, जो तब तक भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशक में निहित रहेंगी जब तक केंद्रीय सरकार अन्यथा निर्देश न दे;

(ix) अधिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से मानद डिग्रियाँ या अन्य उपाधियाँ प्रदान करना;

(x) विस्तार अध्ययन, प्रशिक्षण और पहुँच कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xi) निदेशक पद, प्रधानाचार्य पद, प्रोफेसर पद, सह-प्रोफेसर पद, सहायक प्रोफेसर पद तथा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक अन्य शिक्षण या शैक्षणिक पदों की स्थापना करना और उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(xii) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करना;

(xiii) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करना;

(xiv) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए उच्च अध्ययन संस्थानों को मान्यता देना और ऐसी मान्यता वापस लेना;

(xv) शिक्षकों, कार्यपालकों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(xvi) विजिटिंग प्रोफेसर, एमेरिटस प्रोफेसर, सलाहकार, विद्वान तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की उन्नति में योगदान दे सकें;

(xvii) विश्वविद्यालय में शिक्षण, गैर-शिक्षण, प्रशासनिक, मंत्रालयिक तथा अन्य पद सृजित करना और उन पर नियुक्तियाँ करना।

(xviii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए भारत तथा विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या उच्च शिक्षा संस्थान के साथ सहयोग करना, संयुक्त रूप से कार्य करना या संबद्ध होना;

(xix) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में शिक्षा प्रदान करने हेतु व्यक्तियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना तथा ऐसा अनुमोदन वापस लेना;

(xx) मान्यता प्राप्त संस्थानों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों तथा छात्रावासों का निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा शिक्षा, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानक बनाए रखे जा रहे हैं तथा पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, अस्पताल, कार्यशालाएँ और अन्य शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं;

(xxi) एक ही क्षेत्र या विषय में कार्यरत विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थानों के कार्यों का समन्वय करना;

(xxii) विश्वविद्यालय की दृष्टि में उसके उद्देश्यों की उन्नति के लिए आवश्यक अनुसंधान और शिक्षण हेतु पुस्तकालय, कंप्यूटर केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, सूचना ब्यूरो, संग्रहालय तथा अन्य इकाइयों की स्थापना करना;

(xxiii) विभिन्न विषयों के लिए विशेष विकास केंद्र स्थापित करना;

(xxiv) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थानों का पर्यवेक्षण करना तथा अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उन संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करना;

(xxv) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अतिथि गृहों, अनुबंध हॉलों तथा विद्यार्थियों के लिए अन्य आवासों को मान्यता देना और ऐसी मान्यता वापस लेना;

(xxvi) परामर्श सेवाओं के लिए प्रावधान करना तथा इस उद्देश्य से अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसे प्रबंध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे;

(xxvii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानक निर्धारित करना, जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य विधि सम्मिलित हो सकती है;

(xxviii) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, छात्रत्व, सहायकता, पदक और पुरस्कार स्थापित करना तथा प्रदान करना;

(xxix) शुल्क और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xxx) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास का पर्यवेक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएँ करना;

(xxxi) महिला विद्यार्थियों के संबंध में ऐसे विशेष प्रबंध करना जिन्हें विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(xxxii) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आचरण को विनियमित करना;

(xxxiii) विभागों, मान्यता प्राप्त संस्थानों, विद्यालयों और अध्ययन केंद्रों में विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित और विनियमित करना;

(xxxiv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य और आचरण को विनियमित करना;

(xxxv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और स्टाफ के बीच अनुशासन को नियंत्रित और प्रवर्तित करना तथा आवश्यक समझे जाने वाले अनुशासनात्मक उपाय करना;

(xxxvi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएँ करना;

(xxxvii) व्यक्तियों या संस्थानों से अनुदान, दान और उपहार प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुसार पीठों, निधियों, छात्रवृत्तियों और अन्य समान संस्थानों या कोषों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(xxxviii) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किसी भी संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, जिसमें न्यास और निधिकृत संपत्ति भी सम्मिलित है, का अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान करना;

(xxxix) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से, विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xl) शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, विशेषज्ञता कौशल, विशेषज्ञता के स्तर तथा तकनीकी जनशक्ति के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण की पूर्ति करना तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम प्रारंभ करना;

(xli) उद्योगों के साथ संपर्क और सहयोग के लिए उपाय करना ताकि पूरक सुविधाएँ प्रदान की जा सकें;

(xlii) **दूरस्थ शिक्षा** तथा **मुक्त अधिगम प्रणाली** के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना तथा विद्यार्थियों की एक मुक्त अधिगम प्रणाली से दूसरी में गतिशीलता के लिए प्रावधान करना;

(xliii) ऐसे परिसर, विशिष्ट प्रयोगशालाएँ या अनुसंधान और शिक्षण केंद्र स्थापित करना जिन्हें विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों की उन्नति के लिए आवश्यक समझा जाए;

(xliiv) अधिनियमों के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्यालयों, संस्थानों या किसी विभाग को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना;

(xlv) विमानन उद्योग और संस्थानों के कर्मचारियों के विमानन कौशल के प्रशिक्षण और उन्नयन की व्यवस्था करना तथा ऐसे प्रशिक्षण के लिए अधिनियमों में विनिर्दिष्ट शुल्क लेना;

(xlvi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और लक्ष्यों की उन्नति के लिए आवश्यकता पड़ने पर देश के बाहर किसी भी स्थान पर विदेशी परिसर स्थापित करना;

(xlvii) अपने सभी या किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक ऐसे सभी अन्य कार्य और कृत्य करना।

(2) इस उपधारा (1) में उल्लिखित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय विश्वविद्यालय का यह प्रयास होगा कि शिक्षण और अनुसंधान के उच्चतम संभव मानकों को बनाए रखा जाए।

6. विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत तक विस्तृत होगा।

7. विश्वविद्यालय दोनों लिंगों के व्यक्तियों तथा किसी भी जाति, पंथ, वर्ग या समुदाय के व्यक्तियों के लिए खुला होगा, और किसी भी व्यक्ति को शिक्षक या छात्र के रूप में प्रवेश पाने, या उसमें कोई पद धारण करने, या वहाँ से स्नातक होने के लिए उसके धार्मिक विश्वास या धर्म पालन की किसी भी प्रकार की परीक्षा अपनाना या उस पर लागू करना विधिसम्मत नहीं होगा:

बशर्ते कि इस धारा में निहित कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश या उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी:

बशर्ते कि ऐसा कोई विशेष प्रावधान धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा।

8. (1) विश्वविद्यालय का एक कोष होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ग) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की विमानन कंपनियों और विमानन उद्योगों से प्राप्त कोई भी अंशदान।

(घ) किसी निजी व्यक्ति या संस्थान द्वारा किए गए वसीयतनामे, दान, निधियाँ या अन्य अनुदान;

(ङ) शुल्कों और प्रभारों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आय; तथा

(च) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशियाँ।

(2) इस कोष का उपयोग विश्वविद्यालय के ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि अधिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

9. (1) भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के आगंतुक होंगे:

बशर्ते कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को आगंतुक नियुक्त कर सकते हैं और ऐसा नामित व्यक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि तक, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, पद धारण करेगा तथा आगंतुक की सभी शक्तियाँ और कार्य ऐसे नामित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाएंगे।

(2) आगंतुक समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को विश्वविद्यालय, उसके द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों और संस्थानों के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने तथा उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे किसी प्रतिवेदन की प्राप्ति पर, आगंतुक कुलपति के माध्यम से उस पर कार्यकारी परिषद के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, प्रतिवेदन में वर्णित किसी भी विषय के संबंध में ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझें, और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(3) आगंतुक को यह अधिकार होगा कि वे अपने निर्देशानुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय, उसकी इमारतों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और उपकरणों तथा उसके द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्थान का निरीक्षण कराएं, और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, शिक्षण तथा अन्य कार्यों का भी निरीक्षण कराएं, तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थानों के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी विषय में जांच कराएं।

(4) आगंतुक उपधारा (3) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देंगे—

(क) विश्वविद्यालय को, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में की जानी हो; और

(ख) महाविद्यालय या संस्थान के प्रबंधन को, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में की जानी हो, और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वे आगंतुक के समक्ष ऐसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करें जिन्हें वे आवश्यक समझें।

(5) विश्वविद्यालय या प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, आगंतुक ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकते हैं जैसा वे उपयुक्त समझें।

(6) जहाँ आगंतुक द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है, वहाँ विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) आगंतुक ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचारों सहित तथा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अपनी सलाह के साथ कुलपति को संबोधित कर सकते हैं। कुलपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम, आगंतुक के विचारों तथा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में उनके द्वारा दी गई सलाह को कार्यकारी परिषद को संप्रेषित करेंगे।

(8) यदि निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में की गई हो, तो आगंतुक कुलपति के माध्यम से संबंधित प्रबंधन को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम, उस पर अपने विचार और उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अपनी सलाह से अवगत करा सकते हैं।

(9) कुलपति के माध्यम से, आगंतुक समय-समय पर विश्वविद्यालय को प्रत्येक निरीक्षण या जांच के परिणाम पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं।

(10) जहाँ कार्यकारी परिषद या प्रबंधन युक्तियुक्त समय के भीतर आगंतुक की संतुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, वहाँ आगंतुक, कार्यकारी परिषद या प्रबंधन द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त समझें, और कार्यकारी परिषद ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(11) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आगंतुक लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निरस्त कर सकते हैं जो इस अधिनियम, अधिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व, आगंतुक रजिस्ट्रार को कारण बताने के लिए कहेंगे कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है, तो वे उस पर विचार करेंगे।

(12) पूर्ववर्ती उपबंधों में निहित किसी बात के होते हुए भी, आगंतुक लोकहित में विश्वविद्यालय के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय को कोई भी निर्देश जारी कर सकते हैं।

(13) आगंतुक के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

(1)		कुलाधिपति;
(2)		कुलपति;
(3)	विद्यालयों	के अधिष्ठाता;
(4)		रजिस्ट्रार;
(5)	वित्त	अधिकारी;
(6)	परीक्षा	नियंत्रक; तथा
(7)	ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें अधिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाए।	

11. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति आगंतुक द्वारा उस रीति से की जाएगी जैसा अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) कुलाधिपति अपने पद के कारण विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे।

(3) कुलाधिपति, जब भी उपस्थित होंगे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जो डिग्रियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाएगा।

12. (1) कुलपति की नियुक्ति आगंतुक द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिए, तथा ऐसे वेतन और अन्य सेवा शर्तों पर की जाएगी जैसा अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होंगे तथा विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेंगे और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों का क्रियान्वयन करेंगे।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, तो वे इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे विषय पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना उस प्राधिकारी को देंगे:

बशर्ते कि यदि संबंधित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह विषय को आगंतुक के पास भेज सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा:

बशर्ते कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो, उसे उस तारीख जब उसे ऐसी कार्रवाई की सूचना दी गई हो, से नब्बे दिनों के अंदर कार्यकारी परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और तत्पश्चात कार्यकारी परिषद कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण कर सकती है।

(4) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, अधिनियमों या अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों से परे है, अथवा विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है, तो वे संबंधित प्राधिकारी से ऐसे निर्णय की तिथि से साठ दिनों के भीतर अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए कह सकते हैं, और यदि प्राधिकारी अपने निर्णय की पूर्णतः या आंशिक रूप से समीक्षा करने से इंकार करता है, या उक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो विषय आगंतुक को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा:

बशर्ते कि इस उपधारा के अधीन आगंतुक या प्राधिकारी द्वारा ऐसे निर्णय की अवधि के दौरान संबंधित प्राधिकारी का निर्णय स्थगित रहेगा।

(5) कुलपति ऐसे किसी महाविद्यालय या संस्थान का, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं है, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और उपकरणों का निरीक्षण अपने निर्देशानुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से करा सकते हैं, तथा उस महाविद्यालय या संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्यों का भी निरीक्षण करा सकते हैं,

और उसी प्रकार ऐसे महाविद्यालयों या संस्थानों के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी भी विषय में जांच करा सकते हैं।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो अधिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

13. प्रत्येक विद्यालय अधिष्ठाता की नियुक्ति उस रीति से की जाएगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

14. (1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति उस रीति से तथा ऐसी सेवा शर्तों पर की जाएगी जैसा कि अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से समझौतों में प्रवेश करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

15. वित्त अधिकारी की नियुक्ति उस रीति से तथा ऐसी सेवा शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

16. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति उस रीति से तथा ऐसी सेवा शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

17. विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँगे।

18. निम्नलिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(1)				न्यायालय;
(2)		कार्यकारी		परिषद;
(3)		शैक्षणिक		परिषद;
(4)	संबद्धता	और	मान्यता	बोर्ड;
(5)		विद्यालय		बोर्ड;
(6)	वित्त		समिति;	तथा
(7)	ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें अधिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए।			

19. (1) न्यायालय की संरचना तथा उसके सदस्यों के पदावधि का निर्धारण अधिनियमों द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली संख्या के अनुसार, कुछ सदस्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे, अर्थात्:—

(क) समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों तथा उन लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) ऐसे किसी विषय के संबंध में आगंतुक को परामर्श देना जिसे उसके पास संदर्भित किया जाए; तथा

(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

20. (1) कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगी:

बशर्ते कि जब तक कार्यकारी परिषद का गठन नहीं हो जाता, तब तक नागर विमानन मंत्रालय की संचालन समिति कार्यकारी परिषद के कार्यों का निर्वहन करेगी और उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) कार्यकारी परिषद की संरचना, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ और कार्य अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे:

बशर्ते कि अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट संख्या के अनुसार, कुछ सदस्य न्यायालय के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाएंगे।

21. (1) शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, अधिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय में शिक्षा, अध्ययन और परीक्षाओं के मानकों के अनुरक्षण पर नियंत्रण रखेगी तथा उसके लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो अधिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या आरोपित किए जाएँ।

(2) शैक्षणिक परिषद को सभी शैक्षणिक विषयों पर कार्यकारी परिषद को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(3) शैक्षणिक परिषद की संरचना तथा उसके सदस्यों की पदावधि अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

22. (1) संबद्धता और मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए महाविद्यालयों और संस्थानों को प्रवेश देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) संबद्धता और मान्यता बोर्ड की संरचना, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ और कार्य अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

23. (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर जितनी संख्या निर्धारित करे, उतने विद्यालय बोर्ड होंगे।

(2) विद्यालय बोर्डों की संरचना, शक्तियाँ और कार्य अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

24. वित्त समिति की संरचना, शक्तियाँ और कार्य अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

25. अन्य प्राधिकारियों की संरचना, शक्तियाँ और कार्य, जिन्हें अधिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए, अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, अधिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों की संरचना, शक्तियाँ और कार्य, जो समय-समय पर गठित किए जाएँ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और पद पर बने रहना, सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति, तथा उन प्राधिकारियों या निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए प्रावधान करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी शक्तियाँ, वेतन तथा सेवा की शर्तें;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, उनके वेतन तथा अन्य सेवा की शर्तें;

बशर्ते कि शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में उनके प्रतिकूल कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की, किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजनाएँ संचालित करने हेतु नियुक्ति की रीति तथा उनकी सेवा की शर्तें और वेतन;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनमें पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के प्रावधान तथा सेवा समाप्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई की रीति सम्मिलित है;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;

(ज) विश्वविद्यालय और उसके कर्मचारियों या विद्यार्थियों के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरुद्ध किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा कार्यकारी परिषद में अपील की प्रक्रिया;

(ञ) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षणिक उपाधियों का प्रदान करना तथा उन्हें वापस लेना;

(ट) किसी महाविद्यालय, संस्थान या विभाग को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना;

(ठ) विद्यालयों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना और उन्मूलन;

(ड) मानद डिग्रियों का प्रदान किया जाना;

(ढ) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ण) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकते हैं तथा ऐसे विशेषाधिकारों की वापसी;

(त) फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, छात्रत्व, सहायकताएँ, पदक और पुरस्कारों की स्थापना;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(द) कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना; तथा

(ध) ऐसे सभी अन्य मामले, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा अधिनियमों में प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है।

27. (1) नागर विमानन मंत्रालय की संचालन समिति द्वारा विश्वविद्यालय का प्रथम कानून बनाया जाएगा और इसकी एक प्रति, इसके बनाए जाने के पश्चात, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निहित उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यकारी परिषद समय-समय पर नए या अतिरिक्त अधिनियम बना सकती है या आगे विनिर्दिष्ट रीति से अधिनियमों में संशोधन या निरसन कर सकती है:

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की स्थिति, शक्तियों या संरचना को प्रभावित करने वाला कोई अधिनियम तब तक न तो बनाएगी, न संशोधित करेगी और न निरस्त करेगी, जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपना मत व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो, और इस प्रकार व्यक्त किसी भी मत पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नया अधिनियम, अधिनियमों में कोई वृद्धि, या किसी अधिनियम का संशोधन अथवा निरसन, आगंतुक की स्वीकृति के अधीन होगा, जो उसे स्वीकृति दे सकता है या

स्वीकृति रोक सकता है अथवा अपने द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में पुनर्विचार हेतु उसे कार्यकारी परिषद को वापस भेज सकता है।

(4) कोई नया अधिनियम या किसी विद्यमान अधिनियम में संशोधन या निरसन करने वाला अधिनियम तब तक वैध नहीं होगा जब तक उसे आगंतुक की स्वीकृति प्राप्त न हो।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निहित किसी बात के होते हुए भी, आगंतुक इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (2) में उल्लिखित नए या अतिरिक्त अधिनियम बना सकता है या उनमें संशोधन अथवा निरसन कर सकता है:

बशर्ते कि उक्त तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, आगंतुक उसकी समाप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर ऐसे अतिरिक्त अधिनियम बना सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे, और ऐसे अधिनियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(6) इस धारा में निहित किसी बात के होते हुए भी, आगंतुक विश्वविद्यालय को निर्देश दे सकता है कि वह उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में अधिनियमों में प्रावधान करे, और यदि कार्यकारी परिषद ऐसे निर्देश की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर उसका पालन करने में विफल रहती है, तो आगंतुक, यदि कोई कारण कार्यकारी परिषद द्वारा अपनी असमर्थता के संबंध में संप्रेषित किया गया हो, उस पर विचार करने के पश्चात अधिनियमों में उपयुक्त रूप से प्रावधान कर सकता है या उनमें संशोधन कर सकता है।

28. (1) इस अधिनियम और अधिनियमों के उपबंधों के अधीन, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात:-

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षा और परीक्षा का माध्यम;

(घ) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षणिक उपाधियों का प्रदान, उनके लिए योग्यताएँ तथा उनके प्रदान और प्राप्ति से संबंधित किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश हेतु लिए जाने वाले शुल्क;

(च) फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, छात्रत्व, सहायकताएँ, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षा निकायों, परीक्षकों और संयोजकों के पदावधि, नियुक्ति की रीति और कर्तव्य सम्मिलित हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें;

(झ) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए, यदि कोई हों, विशेष व्यवस्थाएँ तथा उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों का निर्धारण।

(ञ) उन कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक, जिनके लिए अधिनियमों में प्रावधान नहीं किया गया है;

(ट) अध्ययन केंद्र, अध्ययन बोर्ड, विशेष केंद्र, विशेषीकृत प्रयोगशालाएँ और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) भारत या विदेशों में अन्य विश्वविद्यालयों तथा शिक्षित निकायों या संगठनों सहित प्राधिकारियों के साथ सहयोग और समन्वयन का तरीका;

(ड) ऐसे किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कार्य, जिसे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के सुधार हेतु आवश्यक समझा जाए;

(ढ) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की ऐसी अन्य सेवा शर्तें, जो अधिनियमों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थानों का पर्यवेक्षण और प्रबंधन;

(त) कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र की स्थापना; तथा

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनके लिए इस अधिनियम या अधिनियमों द्वारा अध्यादेशों में प्रावधान किया जा सकता है।

(2) प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों में किसी भी समय कार्यकारी परिषद द्वारा अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन, निरसन या वृद्धि की जा सकती है।

29. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, अधिनियमों और अध्यादेशों के अनुरूप रहते हुए, अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से, अपने स्वयं के कार्यों तथा उनके द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए विनियम बना सकते हैं, जहाँ इन विषयों के लिए इस अधिनियम, अधिनियमों या अध्यादेशों में कोई प्रावधान न किया गया हो।

30. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारी परिषद के निर्देशन में तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किए गए उपाय शामिल होंगे, और इसे अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा, तथा न्यायालय अपनी वार्षिक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) न्यायालय उस वार्षिक रिपोर्ट को अपने टिप्पणियों सहित आगंतुक को प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(4) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, संसद के दोनों सदनों में रखे जाने के पश्चात्, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी।

31. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्यकारी परिषद के निर्देशन में तैयार किए जाएंगे तथा कम से कम वर्ष में एक बार और पंद्रह माह से अधिक के अंतराल पर नहीं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उनका लेखा-परीक्षण किया जाएगा।

(2) वार्षिक लेखों की एक प्रति, उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, कार्यकारी परिषद की टिप्पणियों के साथ न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी, और न्यायालय उसे अपने अवलोकनों सहित आगंतुक को अग्रेषित करेगा।

(3) वार्षिक लेखों पर आगंतुक द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा, और न्यायालय की टिप्पणियाँ उस पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारी परिषद द्वारा आगंतुक को प्रस्तुत की जाएंगी।

(4) वार्षिक लेखों की एक प्रति, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, जैसा कि आगंतुक को प्रस्तुत की गई है, केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् पुनरीक्षित वार्षिक लेखों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

32. विश्वविद्यालय अपनी संपत्तियों या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसे प्रतिफल या अन्य सूचना केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई समयावधि के भीतर केंद्रीय सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे।

33. (1) विश्वविद्यालय प्रत्येक नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी के साथ सेवा के लिखित अनुबंध करेगा, और ऐसे अनुबंध की शर्तें और नियम इस अधिनियम, अधिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के असंगत नहीं होंगे।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक अनुबंध की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और एक प्रति संबंधित कर्मचारी को प्रदान की जाएगी।

34. (1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच अनुबंध से उत्पन्न कोई भी विवाद, संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा, जिसमें एक सदस्य कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त, एक सदस्य संबंधित कर्मचारी द्वारा नामित, तथा एक सदस्य आगंतुक द्वारा नियुक्त होगा।

(2) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और न्यायाधिकरण द्वारा तय मामलों के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि इस उपधारा में कोई भी बात कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेदों 32 और 226 के तहत उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपयोग करने से वंचित नहीं करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन मध्यस्थता के लिए सबमिशन माना जाएगा।

(4) न्यायाधिकरण के कार्य संचालन की प्रक्रिया अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

35. (1) कोई विद्यार्थी या परीक्षा का अभ्यर्थी जिसे कुलपति, अधिष्ठाता, परीक्षा नियंत्रक या किसी समिति के आदेश या निर्णय द्वारा विश्वविद्यालय की नामावली से हटाया गया है और जो ऐसे आदेश से व्यथित है, वह आदेश प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों के भीतर कार्यकारी परिषद में अपील कर सकता है, और कार्यकारी परिषद कुलपति या समिति के निर्णय की पुष्टि, संशोधन या निरसन कर सकती है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी विद्यार्थी के विरुद्ध की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से उत्पन्न विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा और धारा 34 के उपबंध यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

36. विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या विद्यार्थी को यह अधिकार होगा कि वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध, अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सके, और कार्यकारी परिषद ऐसे आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरसन कर सकती है।

37. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा योजना ऐसे तरीके से तथा ऐसी शर्तों के अधीन गठित करेगा जैसा अधिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) जहाँ ऐसी कोई भविष्य निधि या पेंशन निधि गठित की गई हो, वहाँ केंद्रीय सरकार निर्देश दे सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

38. किसी प्रश्न के उत्पन्न होने पर कि क्या किसी व्यक्ति का विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचन, नियुक्ति या नामनिर्देशन हुआ है, वह प्रश्न आगंतुक को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

39. विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम या अधिनियमों द्वारा अधिकृत किया गया हो, समितियाँ नियुक्त कर सकता है, और ऐसी समितियाँ संबंधित प्राधिकारी के सदस्यों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी उपयुक्त समझे, जब तक कि अन्यथा उपबंध न किया गया हो।

40. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) में सभी आकस्मिक रिक्तियाँ उस रीति से भरी जाएँगी जो अधिनियमों द्वारा

विनिर्दिष्ट की जाए, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उस सदस्य को नियुक्त, निर्वाचित या सह-चयनित किया था, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, और इस प्रकार नियुक्त, निर्वाचित या सह-चयनित व्यक्ति उस सदस्य के शेष कार्यकाल तक पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

41. केवल किसी रिक्ति या इसके सदस्यों में रिक्ति होने से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

42. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम, अधिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के आशय से किए गए किसी कार्य के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

43. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति के किसी रिपोर्ट, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य किसी दस्तावेज की प्रति, जब रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे तरीके से प्रमाणित की जाए जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, तो उसे उस अभिलेख का प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाएगा तथा वह उसमें उल्लिखित तथ्यों के प्रमाण के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य होगी, मानो मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो, बशर्ते कि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंधों के अधीन होगा।

44. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जिन्हें वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

45. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक अधिनियम, अध्यादेश या विनियम का प्रकाशन राजपत्र में किया जाएगा तथा उसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक अधिनियम, अध्यादेश या विनियम को बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, और यदि दोनों सदन यह सहमत हों कि उसमें संशोधन किया जाए या उसे निरस्त किया जाए, तो वह तत्पश्चात् केवल संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावहीन हो जाएगा, जैसा भी मामला हो; तथापि ऐसा कोई भी संशोधन या निरसन उस अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के अधीन पहले से किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा का प्रभाव उस तिथि से पूर्व किसी तिथि से नहीं दिया जाएगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से पहले की हो।

(3) अधिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों अथवा उनके किसी भाग को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है, परंतु किसी भी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम को ऐसा पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के हितों को हानि पहुँचे, जिस पर वह लागू होता है।

46. इस अधिनियम तथा अधिनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी—

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति की नियुक्ति आगंतुक द्वारा ऐसे तरीके तथा ऐसी शर्तों पर की जाएगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे, और प्रत्येक का कार्यकाल आगंतुक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा;

(ख) प्रथम रजिस्ट्रार और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति आगंतुक द्वारा कुलाधिपति की सिफारिश पर की जाएगी, और प्रत्येक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा;

(ग) विश्वविद्यालय की प्रथम न्यायालय, प्रथम कार्यकारी परिषद तथा अन्य प्राधिकारी ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेंगे जिन्हें आगंतुक नामित करेगा, और वे आगंतुक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक पद धारण करेंगे;

(घ) प्रथम शैक्षणिक परिषद ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी जिन्हें कार्यकारी परिषद नामित करेगी, और वे तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे:

बशर्ते कि किसी भी पद या प्राधिकारी में कोई रिक्ति होने पर उसे यथास्थिति, आगंतुक द्वारा नियुक्ति या नामांकन द्वारा भरा जाएगा, और इस प्रकार नियुक्त या नामित व्यक्ति उस सदस्य के शेष कार्यकाल तक पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामित किया गया है।

47. इस अधिनियम या अधिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय या संस्थान का कोई विद्यार्थी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे महाविद्यालय या संस्थान में अध्ययनरत था और किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए पात्र था, उसे विश्वविद्यालय द्वारा अपना पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति दी जाएगी और वह विश्वविद्यालय से यथास्थिति डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा, तथा विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण और परीक्षा के लिए ऐसे प्रावधान करेगा जो संबंधित महाविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार हों।

48. (1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा बाध्य होगा जैसा कि केंद्रीय सरकार समय-समय पर लिखित में जारी करे।

(2) इस बात का निर्णय कि कोई प्रश्न नीति का विषय है या नहीं, केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

पी. के. मल्होत्रा
सचिव, भारत सरकार